कार्यालय–जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, गोण्डा।

पत्रांक ―――― /जि0का0अधि0/विज्ञापन/2024–25/दिनांक 14, अक्टूबर, 2024

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 19/2023/58–1 –2024–2/1(22)/10टी.सी.1, दिनांक 21.03.2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद गोण्डा के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओ में ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। रिक्त पदो का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	शहरी/ग्रामीण	रिक्त पदो का विवरण (ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री)
1	बेलसर	ग्रामीण	15
2	परसपुर	ग्रामीण	06
3	वजीरगंज	ग्रामीण	18
4	मनकापुर	ग्रामीण	09
5	छपिया	ग्रामीण	11
6	नगर	शहरी	25
7	पड़रीकृपाल	ग्रामीण	18
8	मुजेहना	ग्रामीण	18
9	इटियाथोक	ग्रामीण	14
10	हलधरमऊ	ग्रामीण	14
11	कटराबाजार	ग्रामीण	07
12	नबाबगंज	ग्रामीण	05
13	कर्नलगंज	ग्रामीण	13
14	तरबगंज	ग्रामीण	09
15	बभनजोत	ग्रामीण	24
16	रूपईडीह	ग्रामीण	23
17	झंझरी	ग्रामीण	14
	योग		243

उपरोक्त पदो का ग्रामवार/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है साथ ही विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड है।

विज्ञापित पदो की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:–

1. विज्ञापित पदो पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगें।
2. चयन की समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या 19/2023/58–1 –2024–2/1(22)/10टी.सी.1, दिनांक 21.03.2023 में वर्णित प्रकिया के अधीन होगी।
3. ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यत इण्टमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी।
4. आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम पंचायत/वार्ड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
5. आवेदिक की आयु 01 जुलाई 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
6. ग्राम सभा/वार्ड से विधवा/तलाकशदा/परित्यकता को वरीयता दी जायेगी।

7. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगे।
8. आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन(विज्ञापन जारी होने की तिथि से छः माह के पूर्व का मान्य नही) आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगे। निवास एवं जाति के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगे।
9. विज्ञापित पदो हेतु केवल विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर आनलाईन आवेदन निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होगें। आफलाईन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नही किये जायेगे।
10. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरना होगा। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड किया जाना अनिवार्य है, जिनका उललेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया हो।
11. मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या ए 4677/2023 श्रीमती नीलम पाण्डेय एवं अन्य बनाम राज्य व अन्य में ऑगनबाड़ी केन्द्र दयानन्द नगर-6, मेवतियान-8 में ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती प्रकिया मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
12. उपरोक्त विज्ञापित पदो की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रकिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विकास भवन में कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी(बाल विकास) गोण्डा से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार प्राप्त की जा सकती है।
13. आनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 05.11.2024 रात्रि 12:00 बजें तक होगी।

(मनोज कुमार मौर्या)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
गोण्डा।

पृष्ठांकन संख्या सी-1392/तद्दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, गोण्डा।
3. मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गोण्डा को रिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रो की सूची एवं संबंधित विज्ञापन पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया NIC की वेबसाइट पर प्रचार प्रसार हेतु अपलोड करने का कष्ट करे।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति की प्रति खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करे।
6. कार्यालय प्रति।

14.10.2024
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
गोण्डा।